भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1891**
दिनांक 03.03.2020

**कृषि विज्ञान केन्द्रों की कार्य-प्रणाली**

**1891. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) द्वारा दी गई सेवाओं और काम का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन केवीके को वित्तीय सहायता/राजसहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई हैं; और

(घ) इन केवीके द्वारा किसानों को प्रदान की गई अनुसंधान सेवाओं हेतु कितनी निधियों का उपयोग किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान किन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन राज्य-वार किया गया है?

**उत्तर**

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री**
**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) जी, हां। सरकार कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और किए जा रहे कार्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन कर रही है। क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन और उनकी समीक्षा प्रति वर्ष की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नीति आयोग के स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के माध्यम से अन्य पक्षीय मूल्यांकन भी किया जाता है।

एनआईएलईआरडी और आईएफपीआरआई द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

**वर्ष 2015 में एनआईएलईआरडी द्वारा किया गया केवीके के प्रभाव का अध्ययन:**

- प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में 43 गांवों और 4300 किसानों को शामिल किया जाता है। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा शामिल 80 % गांव कृषि विज्ञान केन्द्र से 10 कि.मी. दूर हैं।
- कैम्पस पर की जाने वाली गतिविधियों की तुलना में कैम्पस इतर गतिविधियां अधिक हैं।
- 96% किसानों के अनुरोध पर कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कार्रवाई की गई।
- किसानों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकियों के कारण उत्पादकता में 42%, कृषि आय में 33% वृद्धि हुई है और कठोर परिश्रम में 20% कमी आई है।
- प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषि-उद्यमिता पर औसतन लगभग 100 व्यक्तियों को वार्षिक रूप से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित किए गए लगभग 25% लोगों ने अपना स्व-रोजगार उद्यम शुरू किया।
- 80% किसानों ने विविधिकृत बीज रोपण तकनीक, उर्वरकों/नाशीजीवनाशियों, मशीनरी और सिंचाई उपयोग से संबंधित अपनी कृषि पद्धति को आशोधित किया।
- प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता अन्य संगठनों के मुकाबले कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अधिक तकनीकी सेवाएं प्रदान की जाती है।

**एनआईएलईआरडी द्वारा वर्ष 2018 में किया गया केवीके का रैंकिंग अध्ययन**

- 43% केवीके 'क' श्रेणी में, 48% 'ख' श्रेणी में, 8% 'ग' श्रेणी में और 1% 'घ' श्रेणी में आते हैं।
- 'ग' एवं 'घ' श्रेणियों के केवीके में रिक्त स्टाफ पद और नई तथा पूरी तरह स्थापित न की गई अवसंरचना हैं।

**आईएफपीआरआई द्वारा वर्ष 2019 में केवीके पर किया गया अध्ययन**

- केवीके के प्रयासों से रू. 3568 प्रति हे. की अतिरिक्त शुद्ध कृषि आय सृजित हुई।
- लागत लाभ अनुपात 1:7.8 है। अत: केवीके पर व्यय पर प्रतिलाभ की दर काफी अधिक है। केवीके की पहुंच वर्ष 2003-04 के 1% की तुलना में वर्ष 2013-14 में बढ़ कर 5.34% हो गई है।
- केवीके द्वारा प्रशिक्षित एक किसान 30 किसानों तक प्रौद्योगिकी/ज्ञान का प्रचार-प्रसार करता है।

**(ख) से (घ):** जी, हां। सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित कृषि विज्ञान केन्द्रों को जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

*******

**अनुबंध-I**

**{लोक सभा के दिनांक 03.03.2020 के अतारांकित प्रश्न सं0 1891 का भाग (ख) से (घ)}**

**तमिलनाडु सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों को जारी की गई और इनके द्वारा उपयोग की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

**(रू. लाख में)**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वित्तीय वर्ष 2016-17 | | वित्तीय वर्ष 2017-28 | | वित्तीय वर्ष 20 1 8-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जारी की गई राशि | उपयोग की गई राशि | जारी की गई राशि | उपयोग की गई राशि | जारी की गई राशि | उपयोग की गई राशि |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 380.94 | 380.94 | 416.45 | 416.45 | 459.75 | 459.75 |
| आंध्र प्रदेश | 2767.77 | 2767.77 | 3018.83 | 3018.83 | 2956.59 | 2956.59 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2068.5 | 1987.5 | 1871.70 | 1821.89 | 2331.23 | 2223.29 |
| असम | 3712.61 | 3054.78 | 2871.80 | 2768.11 | 4249.26 | 3831.11 |
| बिहार | 4389.79 | 4389.79 | 51 10.00 | 3898.85 | 4047.00 | 4007.36 |
| छतीसगढ़ | 2776.79 | 2670.78 | 2676.99 | 2597.53 | 2392.48 | 2233.31 |
| दिल्ली | 101.58 | 101.58 | 128.70 | 128.70 | 142.75 | 142.75 |
| गोवा | 161.87 | 151.21 | 227.52 | 216.74 | 236.75 | 186 .00 |
| गुजरात | 2532.70 | 2532.70 | 3099.13 | 2841.23 | 3365.93 | 3186.96 |
| हरियाणा | 1976.34 | 1976.34 | 2411.00 | 2411.00 | 2273.15 | 2273.15 |
| हिमाचल प्रदेश | 1466.46 | 1466.46 | 1867.1 | 1867.1 | 2028.26 | 2028.26 |
| जम्मू और कश्मीर | 2241.54 | 2241.54 | 2536.37 | 2536.37 | 2730.19 | 2730.19 |
| झारखंड | 2309.47 | 2309.47 | 2404.00 | 2015.74 | 2299.16 | 2256.30 |
| कर्नाटक | 3259.13 | 3154.46 | 3330.41 | 3211.17 | 3950.83 | 3502.32 |
| केरल | 1682.34 | 1657.15 | 1650.76 | 1599.01 | 1877.48 | 1829.89 |
| लक्षद्वीप | 29.95 | 29.95 | 0 | 0 | 23.82 | 19.61 |
| मध्य प्रदेश | 5088.78 | 4863.45 | 4976.47 | 4844.01 | 5743.33 | 5559.02 |
| महाराष्ट्र | 5614.7 | 5126.52 | 5131.12 | 4913.61 | 5452.03 | 5142.37 |
| मणिपुर | 1495.81 | 1446.95 | 1427.01 | 1427.01 | 1714.00 | 1714.00 |
| मेघालय | 573.80 | 562.30 | 524.18 | 524.18 | 1159.65 | 1159.65 |
| मिजोरम | 1197.89 | 1185.99 | 840.03 | 840.03 | 1241.80 | 1241.80 |
| नागालैंड | 1456.81 | 1441.61 | 1432.65 | 1432.65 | 1810.45 | 1810.45 |
| ओडिशा | 3360.20 | 3211.63 | 2821.44 | 2821.44 | 3367.29 | 3367.29 |
| पुडुचेरी | 173.70 | 161.72 | 176.66 | 176.66 | 188.22 | 188.22 |
| पंजाब | 2477.36 | 2477.36 | 2981.53 | 2981.53 | 3020.96 | 3020.96 |
| राजस्थान | 3851.65 | 3851.65 | 5670.35 | 5670.35 | 5595.17 | 5595.17 |
| सिक्किम | 494.85 | 476.65 | 698.70 | 579.7 | 575.0 | 570.00 |
| तमिलनाडु | 3269.05 | 3130.59 | 3104.16 | 3104.16 | 3540.84 | 3540.84 |
| तेलंगाना | 1477.86 | 1477.86 | 1530.27 | 1530.27 | 1880.77 | 1880.77 |
| त्रिपुरा | 428.94 | 403.92 | 416.28 | 416.28 | 763.35 | 763.35 |
| उत्तर प्रदेश | 9731.87 | 9731.87 | 9315.37 | 9315.37 | 10304.64 | 10304.64 |
| उत्तराखंड | 1586.25 | 1586.25 | 1439.13 | 1439.13 | 1383.3 | 1383.3 |
| पश्चिम बंगाल | 2718.99 | 2718.99 | 2740.37 | 2740.37 | 2667.52 | 2667.52 |
| **कुल** | **76856.29** | **74727.73** | **78846.48** | **76105.47** | **85772.95** | **83776.19** |

*******